मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

कृषि पंपों/थ्रेसरों आदि के लिये नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 1087.74 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। इस राशि में पूर्व वर्षो की देय राशि भी शामिल है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,87,74,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

टैरिफ सब्सिडी मद में मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड/विद्युत वितरण कंपनियों के लिये राशि रुपये 955.80 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। इस राशि में पूर्व वर्षो की देय राशि भी शामिल है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 9,55,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1 - 2

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित सब मिशन रेन फेड एरिया डवलपमेंट योजना अंतर्गत राशि रुपये 1807.67 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,07,67,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 5

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित परम्परागत कृषि विकास योजना अंतर्गत राशि रुपये 2440.99 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,40,99,640 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 - 8

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित नेशनल आइल सीड एवं आइल पाम मिशन योजना अंतर्गत राशि रुपये 3935.90 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 39,35,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र. भोपाल के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अतर्गत खरीफ 2015 के संभावित बीमा दावों में राज्य शासन के अंशदान हेतु राशि रुपये 1500.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 17
मुख्य शीर्ष 6425

मद क्रमांक 1

कृषकों के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक को परिवर्तित ऋण की 15 प्रतिशत राशि ऋण के रुप में दी जाना है। इस हेतु रुपये 390.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,90,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 22

मुख्य शीर्ष 4217

मद क्रमांक 1

भू-अर्जन हेतु मुआवजा अंतर्गत राशि रुपये 40.23 लाख राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है। इस हेतु राशि रुपये 40.23 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 40,23,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 29
मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 1 - 4

विधान सभा उप चुनाव (जिला सतना के मैहर एवं जिला देवास) वर्ष 2015-16 से संबंधित कार्यो के सुचारू रूप से संपादन हेतु आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि रुपये 68,25,200 के समायोजन हेतु राशि रुपये 68,25,200 की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 68,25,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 36
मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 1

कार्यालय भवनों हेतु आकस्मिकता निधि से रुपये 30.00 करोड़ का राज्य की आकस्किता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है। इसकी प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 6425

मद क्रमांक 1

कृषकों के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक को परिवर्तित ऋण की 15 प्रतिशत राशि ऋण के रुप में दी जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 120.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 57
मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 1

म.प्र. वाटर रिस्ट्रक चरिंग परियोजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 29.00 करोड़ राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अत: आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित राशि रुपये 29,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 58
मुख्य शीर्ष 2245

मद क्रमांक 1

सूखा फसल क्षति सहायता अनुदान योजना अंतर्गत राशि रुपये 3000.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा से वर्ष 2015-16 में राज्य आपदा मोचन निधि का आकार रुपये 877 करोड़ हो गया है। मुख्य बजट में राशि रुपये 549 करोड़ का प्रावधान है। राशि रुपये 328.00 करोड़ (केन्द्रांश रुपये 246.00 करोड़ एवं राज्यांश रुपये 82.00 करोड़) का अतिरिक्त व्यय संभावित

है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,28,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 6425

मद क्रमांक 1

कृषकों के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक को परिवर्तित ऋण की 15 प्रतिशत राशि ऋण के रुप में दी जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 90.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 90,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 74
मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 1

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र कार्यक्रम योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हेतु राशि रुपये 7700.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 77,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2505

मद क्रमांक 2

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु राशि रुपये 71718.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,17,18,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।